

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:—189/2019  
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:— 49,53,88, आरटीए

1. जसदीपसिंह पुत्र सुखजिन्द्रसिंह 2. प्रवीणसिंह पुत्र फलेलसिंह 3. जगजीतसिंह पुत्र सन्तासिंह	}	जाति जटसिख साकिनान संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) —वादीगण
बनाम		

1. सुखपालसिंह पुत्र अजमेरसिंह 2. प्रीतपालसिंह पुत्र अजमेरसिंह 3. प्रेमसिंह पुत्र अजमेरसिंह 4. तहसीलदार राजस्व संगरिया	जाति जटसिख साकिनान संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
—प्रतिवादीगण	

उपस्थित :-

- 1- श्री ओमप्रकाश शर्मा—वकील वादीगण
- 2- श्री नवरत्न स्वामी—वकील प्रति.सं. 1 से 3

**निर्णय**

**दिनांक :- 18.09.2019**

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 48/53/88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 147/134 में वादी संख्या 1 के नाम कुल 0.886 है 0 तथा इसी चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 148/134 में वादी संख्या 3 के नाम 0.379 है 0 तथा इसी चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 51/53 में वादी संख्या 4 के नाम कुल 0.506 है 0 तथा इसी चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 151/88 में वादी संख्या 4 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम कुल 0.923 है 0 तथा इसी चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2/5 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम कुल 0.506 है 0 कृषि भूमि कुल भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है। जमाबन्दी नकल हमराह दावा है।

(क) चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 147/134 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169/127	11	25/2/0.127
170/127	12	12/1/0.127, 19-20/0.506, 21/1/0.126
योग—0.8860 है 0 बाराणी1		

(ख) चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 148/134 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
170/127	12	11/0.253, 12/2/0.126,
योग—0.3790 है 0 बाराणी1		

(ग) चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 51/53 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169/127	11	15/0.253
170/127	12	10/0.253,

योग-0.5060 है0 बाराणी1

(घ) चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 151/88 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169/127	11	5/0.101, 6/0.253, 7/0.215, 8/0.126,
170/127	12	1/0.228,

योग-0.9230 है0 बाराणी1

(ङ) चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169/127	11	13-14/0.506,

योग-0.5060 है0 बाराणी 1 पहरा सं. 2 में वर्णित कुल भूमि का हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य परस्पर विनिमय एवं अच्छी-मंदी भूमि के आधार पर घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक विनिमय एवं घरू विभाजन अनुसार चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2/5 में वादी संख्या 1 को 0.373 है0 व वादी संख्या 3 को 0.051 है0 तथा प्रति0 सं. 2 को 0.082 है0 इस प्रकार कुल 0.506 है0 भूमि प्राप्त हुई है उक्त खाता संख्या 2/5 से सुखपालसिंह का नाम कलमजन किया जावे इसी अनुसार खाता संख्या 151/88 में वादी संख्या 1 को 0.025 है0 व वादी संख्या 3 को 0.165 है0 व प्रतिवादी संख्या 1 को 0.354 है0 व प्रति0 सं. 2 को 0.379 है0 इस प्रकार कुल 0.923 है0 भूमि प्राप्त हुई है उक्त खाता संख्या 151 से प्रेमसिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी अनुसार खाता संख्या 147/134 में वादी संख्या 1 को 0.380 है0 व वादी संख्या 2 को 0.379 है0 व वादी संख्या 3 को 0.127 है0 इस प्रकार कुल 0.886 है0 भूमि प्राप्त हुई है उक्त खाता संख्या 147 से जसदीपसिंह का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी अनुसार खाता संख्या 148/134 में समस्त 0.379 है0 भूमि वादी संख्या 3 को प्राप्त हो चुकी है उक्त खाता संख्या 148 से प्रवीणसिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी अनुसार खाता संख्या 51/53 में प्रतिवादी सं. 1 को 0.101 है0 व प्रतिवादी सं. 3 को 0.077 है0 शेष वादी संख्या 3 को 0.328 है0 इस प्रकार कुल 0.506 है0 भूमि प्राप्त हुई है उक्त खाता 51 से जगजीतसिंह का हिस्सा कम किया जावे। इस प्रकार उपरोक्त विवरण अनुसार हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने परस्पर विनिमय एवं विभाजन कर लिया है इसी अनुसार हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अमर की घोषणात्मक डिकरी वादीगण पाना चाहते हैं। दावा की पहरा सं. 3 में वर्णित विवरण अनुसार हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने परस्पर विनिमय एवं घरू विभाजन कर लिया है इसी अनुसार अब हमारी कब्जा काश्त है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी संख्या 1-जसदीपसिंह पुत्र सुखजिन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2 व 151 व 147

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169/127	11	8/0.025, 13/0.215, 14/0.158 25/2/0.127
170/127	12	20/0.127, 21/1/0.126,

योग-0.778 है0 बाराणी1

(ख) वादी संख्या 2-प्रवीणसिंह पुत्र फलेलसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 147

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
------	-------	------------

170 / 127                      12                      19 / 0.253, 20 / 0.126,  
योग-0.379 है0 बारानी1

(ग) वादी संख्या 3—जगजीतसिंह पुत्र सन्तासिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2 व 151 व 147 व 148 व 51

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169 / 127	11	5 / 0.051, 14 / 0.051, 15 / 0.253
170 / 127	12	1 / 0.114, 10 / 0.075, 11 / 0.253, 12 / 1 / 0.127, 12 / 2 / 0.126, योग-1.050 है0 बारानी1

(घ) प्रतिवादी संख्या 1—सुखपालसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 151 व 51

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169 / 127	11	5 / 0.050, 6 / 0.253
170 / 127	12	1 / 0.051, 10 / 0.101, योग-0.455 है0 बारानी1

(ङ) प्रतिवादी संख्या 2—प्रीतपालसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2 व 151

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169 / 127	11	7 / 0.215, 8 / 0.101, 13 / 0.038, 14 / 0.044
170 / 127	12	1 / 0.063, योग-0.461 है0 बारानी1

(च) प्रतिवादी संख्या 3—प्रेमसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 51

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
170 / 127	12	10 / 0.077, योग-0.077 है0 बारानी1

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 मुताबिक विनिमय एवं घरू विभाजन अनुसार अपने-अपने कब्जा काश्त की भूमि पर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की कब्जा काश्त की भूमि का विवरण दावा के पहरा संख्या 5 के उप पहरा क से च तक में दिया गया है, इसी अनुसार वादीगण खाता विभाजन करवा रकम राज अलग-अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। उक्त भूमि सांझा खाता में दर्ज होने तथा विनिमय एवं कब्जा काश्त अनुसार दर्ज नहीं होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है क्यों कि मुताबिक कब्जा काश्त लिमिट या ऋण प्राप्त करने में असमर्थ है इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वे मुताबिक विनिमय एवं घरू विभाजन अनुसार राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज करवा लेवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। आज दिनांक 19.07.2019 को राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य हुआ जो जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। रजीनामा दोनो पक्षो को पढ़कर सुनाया, सुन समझ सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये जाकर मुताबिक राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार किया गया। राजीनामा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावाली में संलग्न तबादलानामा दिनांक 17.09.2019 से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपनी जमीनों को इकठा करने के उद्श्य से तबादलानामा किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 49 में यह प्रावधान है कि कोर्ट खातेदार अधिकारी किसी ऐसे क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो किसी अन्य

खातेदार अधिकारी से जोड़ी जाने वाली भूमि का विनिमय कर सकेगा। प्रकरण हाजा में तबादला के अधीन आराजी की किस्म बारानी 1 एवं मूल्य/डीएलसी लगभग समान होने के कारण मुताबिक तबादला दिनांक 17.09.2019 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी संख्या 1—जसदीपसिंह पुत्र सुखजिन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2 व 151 व 147

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169/127	11	8/0.025, 13/0.215, 14/0.158 25/2/0.127
170/127	12	20/0.127, 21/1/0.126,
योग—0.778 है0 बारानी1		

(ख) वादी संख्या 2—प्रवीणसिंह पुत्र फलेलसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 147

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
170/127	12	19/0.253, 20/0.126,
योग—0.379 है0 बारानी1		

(ग) वादी संख्या 3—जगजीतसिंह पुत्र सन्तासिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2 व 151 व 147 व 148 व 51

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169/127	11	5/0.051, 14/0.051, 15/0.253
170/127	12	1/0.114, 10/0.075, 11/0.253,
12/1/0.127, 12/2/0.126,		
योग—1.050 है0 बारानी1		

(घ) प्रतिवादी संख्या 1—सुखपालसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 151 व 51

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169/127	11	5/0.050, 6/0.253
170/127	12	1/0.051, 10/0.101,
योग—0.455 है0 बारानी1		

(ङ) प्रतिवादी संख्या 2—प्रीतपालसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2 व 151

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169/127	11	7/0.215, 8/0.101, 13/0.038, 14/0.044
170/127	12	1/0.063,
योग—0.461 है0 बारानी1		

(च) प्रतिवादी संख्या 3—प्रेमसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 51

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
170/127	12	10/0.077,
योग—0.077 है0 बारानी1		

अतः उक्तानुसार भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-189/2019

1 जसदीपसिंह पुत्र सुखजिन्द्रसिंह 2 प्रवीणसिंह पुत्र फलेलसिंह 3 जगजीतसिंह पुत्र सन्तासिंह	}	जाति जटसिख साकिनान संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) -वादीगण
--	---	--

बनाम

1. सुखपालसिंह पुत्र अजमेरसिंह 2. प्रीतपालसिंह पुत्र अजमेरसिंह 3. प्रेमसिंह पुत्र अजमेरसिंह 4. तहसीलदार राजस्व संगरिया	जाति जटसिख साकिनान संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
--	---

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार किये जाते है:-

(क) वादी संख्या 1-जसदीपसिंह पुत्र सुखजिन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2 व 151 व 147		
प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169/127	11	8/0.025, 13/0.215, 14/0.158 25/2/0.127
170/127	12	20/0.127, 21/1/0.126,
योग-0.778 है0 बारानी1		

(ख) वादी संख्या 2-प्रवीणसिंह पुत्र फलेलसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 147		
प0न0	मु0न0	किला नम्बर
170/127	12	19/0.253, 20/0.126,
योग-0.379 है0 बारानी1		

(ग) वादी संख्या 3-जगजीतसिंह पुत्र सन्तासिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2 व 151 व 147 व 148 व 51		
प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169/127	11	5/0.051, 14/0.051, 15/0.253
170/127	12	1/0.114, 10/0.075, 11/0.253,
12/1/0.127, 12/2/0.126, योग-1.050 है0 बारानी1		

(घ) प्रतिवादी संख्या 1-सुखपालसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 151 व 51		
प0न0	मु0न0	किला नम्बर

169 / 127	11	5 / 0.050, 6 / 0.253
170 / 127	12	1 / 0.051, 10 / 0.101,
		योग-0.455 है0 बाराणी1

(ड़) प्रतिवादी संख्या 2-प्रीतपालसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 2 व 151

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
169 / 127	11	7 / 0.215, 8 / 0.101, 13 / 0.038, 14 / 0.044
170 / 127	12	1 / 0.063,
		योग-0.461 है0 बाराणी1

(च) प्रतिवादी संख्या 3-प्रेमसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा की कब्जा काश्त का विवरण :-

चक नम्बर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 51

प0न0	मु0न0	किला नम्बर
170 / 127	12	10 / 0.077,
		योग-0.077 है0 बाराणी1

उक्त खाता में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का उक्तानुसार हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.09.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया

